कार्यालय प्रधानाचार्य, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कालेज, मेरठ।

संख्याः–ई0सी0–1/2025/

दिनांक 13-08-2025

संविदा के आधार पर सेवा योजन हेतु विज्ञप्ति

आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 13.08.2025 को आहुत बैठक में इस संस्था के रिक्त अभियन्ताओं के पदों पर संविदा के आधार पर तैनात किये जाने हेतु केन्द्र/राज्यों के राजकीय विभाग/पब्लिक सेक्टर से सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को उ0प्र0 सेवानिवृत्त सेवाओं को पुनः संविदा के आधार पर नियुक्ति के नियमानुसार नियुक्त किये जाने के आदेश दिये गये हैं। जिसके अनुपालन में इस संस्था में स्वीकृत अभियन्ताओं के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने के लिए साक्षात्कार हेतु आवेदन–पत्र एतद्द्वारा आमन्त्रित किये जाते हैं। इन पदों पर चयन **"वाक–इन–इन्टरव्यू"**(Walk-in-interviw) पद्धति से चयन समिति के माध्यम से किये जायेगें। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती हैं कि वह साक्षात्कार **"वाक–इन–इन्टरव्यू"**(Walk-in-interviw) हेतु **दिनांक 03.09.2025** को तदोपरान्त प्रत्येक बुधवार**(कार्यदिवस)** को **प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे** के मध्य अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ कार्यालय प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ में उपस्थित हो। पदों की संख्या नीचे तालिका में दी जा रही हैं। अभ्यार्थियों को यह भी सूचित किया जाता हैं कि वह साक्षात्कार के दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों की स्वःप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित लायेंगे।

ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज, मेरठ के रिक्त अभियन्ताओ के रिक्त पदों का विवरण निम्नवत हैः–

क्र.सं.	पदनाम	संख्या
1	अधिशासी अभियन्ता सिविल(Executive Engineer Civil)	01
2	जूनियर इंजिनियर बायोमेडिकल इंजिनियर	01
3	जूनियर इंजिनियर मकेनिकल	01
4	जूनियर इंजिनियर सिविल	01
5	जूनियर इंजिनियर विद्युत	01
	योग	05

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत हैः–

1. उपरोक्त रिक्त पदों पर के सेवानिवृत्त अभ्यर्थी आवेदन करेगें।
2. उपरोक्त रिक्त पदों पर शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव उपरोक्त पदों की सम्बधित सेवानियमावलियो को पूर्ण करना आवश्यक हैं।
3. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले अभियन्ता को पद हेतु निर्गत किए जाने वाले शासनादेश में उल्लिखित एवं निहित शर्तो को पूर्ण करना होगा। उपरोक्त अभियन्ताओं की संविदा पद पर नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र/साक्षात्कार की तिथि को अधिकतम 64 वर्ष आयु सीमा के अभ्यर्थी ही अभ्यर्थन कर सकते हैं। क्योकि अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।
4. अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय अपना बायोडाटा, सभी प्रमाण पत्र एवं पी0पी0ओ0 की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
5. उक्त पद पर नियुक्त अभ्यर्थी का वेतन(अन्तिम वेतन - पेंशन) नियत देय होगा। अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नही होगें।
6. संविदा पर नियुक्त अभियन्ताओं की सेवाएँ लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा सन्तोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।
7. ऐसे अभियन्ताओं का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा अथवा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित अभियन्ता उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढाया जा सकेगा।
8. संविदा पर नियुक्त अभियन्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि वह नियुक्त आदेश जारी होने के 08 दिन के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी।
9. संविदा पर नियुक्त अभियन्ता संविदा कालावधि के लिऐ किसी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नही होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस देय नही होगा।
10. अभियन्ता शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नही होगा।
11. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती हैं।
12. संविदा पर नियुक्त अभियन्ता की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय। संविदा पर कार्यरत अभियन्ता के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेगें और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
13. यदि कोई सेवानिवृत्त अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो एन0आर0एच0एम0 के मानकानुसार भुगतान किया जायेगा।
14. पदों की संख्या घट या बढ सकती हैं/आवश्यकतानुसार पदों के समकक्ष फायर सर्विसेज सेवा का अभ्यर्थी को सापेक्ष पदों पर सम्बन्धित विभागों के समान पदों की शर्तो/अर्हता/अनुभव के आधार पर नियुक्ति किया जा सकता हैं।

प्रधानाचार्य,
ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,
मेरठ।

संख्याः–ई0सी0–1/2025/6278

तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग–1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज, मेरठ इस आशय से प्रेषित की उपरोक्त विज्ञप्ति को मेडिकल कालेज, मेरठ की वेवसाईट पर अविलम्ब अपलोड करादेवे।
4. सूचना पट।
5. आदेश पुस्तिका।

प्रधानाचार्य,
ला0ला0रा0स्मा0मेडिकल कालेज,
मेरठ।